

भारत सरकार  
रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

सं.2010/टेली/15(4)/2

नई दिल्ली, 22.06.2012

महाप्रबंधक,  
सभी भारतीय रेलें

दूरसंचार परिपत्र सं.07/2012

विषय: पीएसी और पीएससी के सदस्यों के लिए 3जी, ब्लैकबैरी आदि जैसी मूल्य संवर्द्धित सेवाएं।

\*\*\*\*

यात्री सेवा समिति और यात्री सुविधा समिति के सदस्यों और अध्यक्ष के लिए 4000/- रुपए के अनुमोदित मासिक सीयूजी उपयोग प्रभारों के भीतर 3जी, ब्लैकबैरी आदि जैसी मूल्य संवर्द्धित सेवाओं के एकटीवेशन के लिए रेल मंत्रालय की एतद्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।

इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जा रहा है।



(राकेश रंजन)

निदेशक (दूरसंचार)

दूरभाष: 011-23388504, 030-44613


फैक्स: 011-23304690, 030-44690

सं.2010/टेली/15(4)/2

नई दिल्ली, 22.06.2012

प्रतिलिपि:

1. वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी, पूर्व रेलवे, कोलकाता.
2. प्रधान लेखा परीक्षा निदेशक, पूर्व रेलवे, कोलकाता.
3. भारत के उप नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक (रेलें), कमरा नं. 224, रेल भवन, नई दिल्ली.

  
कृते वित्त आयुक्त, रेलें

प्रतिलिपि:

1. एफ (एक्स) II एवं बजट शाखाएं, रेलवे बोर्ड
2. महाप्रबंधक (एस एंड टी), पूर्व रेलवे, कोलकाता को इन उपयोगकर्ताओं के अनुरोध के अनुसार इन सेवाओं को एकटीवेट किए जाने के लिए
3. सचिव, पीएसी और पीएससी